ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा)

योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर दूरभाष–0141–2226861, 2225619

क्रमांक: F2(1)RUDA/store/NGO/2023-24/ 125 दिनांक : 09.05.2023

अभिरुचि प्रस्ताव आमंत्रण सूचना

ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा) कार्यालय द्वारा सूचीबद्व किये जाने की तारीख से एक वर्ष के लिए राज्य में गैर कृषि क्षेत्र के उपक्षेत्र ऊन एवं वस्त्र, लघु खनिज, तथा चर्म के दस्तकारों के उन्नयन हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाँ एवं एक्सपोजर विजिट, ईडीपी इत्यादी के आयोजनों में रुचि रखने वाले प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों/ ट्रस्ट को सूचीबद्ध करने हेतु ई–उपापन के माध्यम से अभिरुचि प्रस्ताव आंमत्रित किये जाते हैं।

क्रम स0	कार्य	ऑन लाइन निविदा प्राप्त होने की अन्तिम दिनांक व समय	अनुमानित कुल व्यय	प्रतिभूति राशि अधिकतम 2 प्रतिशत	ई–उपापन हेतु प्रकिया शुल्क	निविदा प्रपत्र का शुल्क
1	NGO Empanelment for training programes, Workshops, Exposure Visit, EDP etc.	29.05.2023 6.00 PM तक	30.00 लाख	6000/–	500/–	500/–

अभिरूची प्रस्ताव आमंत्रण हेतु निविदा प्रपत्र **State Public Procurement Portal** **http://sppp.rajasthan.gov.in OR e-procurement portal http://eproc.rajasthan .gov. in OR website www.ruda.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध हैं निविदादाता द्वारा केवल ई–उपापन के माध्यम से दिनांक 29.05.2023, 6.00 **PM** तक ऑन लाइन आवेदन किये जा सकते है।

निविदादाता को बोली दस्तावेज की शुल्क राशि रूपये 500/– एवं बोली प्रतिभूति राशि रूपये 6000/– बैंक ड्राफट/बैंकर्स चैक **"RURAL NON FARM DEVELOPMENT AGENCY, JAIPUR**. के नाम, उपापन फीस राशि रूपये 500/– का बैंक ड्राफट/बैंकर्स चैक **MD RISL, Jaipur** के नाम से देय, अलग–अलग सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। इसी के साथ सूचीबद्व करने की शर्त सख्या 11 के अनुसार 100 रूपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर दिये जाने वाला मूल शपथ पत्र सीलबन्द लिफाफे में ड्राफट के साथ प्रस्तुत करना होगा।

उक्त सभी बैंक ड्राफट/बैंकर्स चैक, मूल शपथ–पत्र सील बन्द लिफाफे में प्रबन्ध निदेशक रूडा,के नाम से 30.05.2023.को दोपहर 3.00 बजे तक ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा) तृतीय तल, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर में जमा कराना आवश्यक होगा । 30.05.2023 .को 3.00 बजे पश्चात प्राप्त होने वाले दस्तावेजों को निविदा प्रकिया में शामिल नहीं किया जावेगा। अभिरूची प्रस्ताव 30.05.2023 को सायं 4.00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष खोले जावेगें। अन्य विवरण एवं शर्ते प्रपत्र में अंकित है।

नलिनी कठोतिया निदेशक
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक
ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा)

निविदा फार्म

1. प्रेषकः

क.	गैर सरकारी संगठन का नाम	
ख.	पता	
ग.	दूरभाष नं. / मोबाईल नं.	
	ई मेल	

2. निविदा संदर्भ : दिनांक

क.	गैर सरकारी संगठन का नाम	
ख.	संबंधित / सम्पर्क व्यक्ति का नाम	
ग.	पंजीकृत कार्यालय का पता	
घ.	दूरभाष नं. / मोबाईल नं.	
ड़.	ई. मेल आई.डी	

नलिनी कठोतिया
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक
ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा)

3. निविदा–फार्म फीस (रू. 500 / –) का विवरण–डीडी / बैंकर चेक संख्या.....................दिनांक............

4. MD, RISL की शुल्क राशि रूपये 500 / –का विवरणः– डीडी / बैंकर चेक संख्या...................

दिनांक........................

5. प्रतिभूति राशि रूपये 6000 / – का विवरण– डीडी / बैंकर चेक संख्या.....................दिनांक..............

दिनांक

हस्ताक्षर प्राधिकृत
पदाधिकारी मय सील

तकनीकी भाग

1.	गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट का नाम	
2.	संगठन कार्यालय का पूर्ण पता मय पिन कोड	
3.	मुख्य कार्यकारी व्यक्ति का नाम क. दूरभाष नं. ख. मोबाईल नं. ग. ई मेल पता	
4.	• निति आयोग (एनजीओ दर्पण) आईडी • जीएसटी पंजीयन से संबंधित सूचना, प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
5.	गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट का पेन नम्बर	
6.	गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट द्वारा गत् 5 वर्षो में सम्पन्न किये गये कार्यक्रमों के संबंध में सूचना एवं प्रमाण संलग्न करें।(शर्त संख्या 1)	
7.	गत पॉच वर्षो (2018–19 से 2022–23) में रूडा के किसी एक उपक्षेत्र में दिये गये 3 प्रशिक्षण का कार्यानुभव अंकित करें। (शर्त संख्या 4)	
8.	गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट द्वारा उनकी प्राथमिकता अनुसार TSP/SCSP क्षेत्र के अकित करे जहां वे प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम आदि करने के इच्छुक है। (इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय रूडा का होगा)	
9.	गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट द्वारा गत् 5 वर्षो 2018–19 से 2022–23 में टर्नओवर का सनदी लेखाकार से प्रमाणित विवरण (प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं, शर्त स0 8)	
10.	गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट के विधान में उदद्देश्य के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का उल्लेख (विधान की प्रति संलग्न करें शर्त स0 9)	
11.	गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र (शर्त संख्या 11)	
12.	गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट में कार्यरत नियमित स्टॉफ की संख्या मय सम्पूर्ण विवरण संलग्न करे। (शर्त संख्या 14)	
13.	गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि का विवरण (शर्त संख्या 16)	
14.	अन्य विवरण यदि आवश्यक हो तो	

sd/-
नलिनी कठोतिया
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक
ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा)

दिनांक

हस्ताक्षर संगठन प्रतिनिधि
मय सील

संलग्न दस्तावेजों की सूची

क्र. सं.	शर्त संख्या	संलग्न दस्तावेजो का विवरण	दस्तावेजों की संख्या	हॉ / नहीं
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

नलिनी कठोतिया
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक
ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा)

ऊपर वर्णित आवश्यक दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य दस्तावेज भी संगठन संलग्न कर सकती है।

दिनांक

हस्ताक्षर संगठन प्रतिनिधि
मय संस्था सील

शपथ पत्र का प्रारूप

(Rs.100/–के नॉन ज्यूडिसियल स्टॉम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रस्तुत करें)

मैं.................................... पुत्र/पुत्री/पत्नि/श्री .... उम्र.......
निवासी .... जो कि ....
.... नामक गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट में .... पद पर कार्यरत हूँ,
सशपथ घोषणा करता हूँ कि :–

1. मैं घोषणा करता हूँ कि आवेदक गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट के हित में निविदा प्रपत्र भर कर हस्ताक्षर करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुझे प्राधिकृत प्रतिनिधि घोषित किया गया है।
2. आवेदक गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट को गत 5 वर्षो में राजकीय विभागों/उपक्रमों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कार्यक्रम कराने का अनुभव है।
3. गत 5 वर्षो में गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट को अभिरूचि प्रस्ताव में वर्णित गैर कृषि उपक्षेत्र जैसे ऊन व वस्त्र, लघु खनिज एवं चर्म से संबंधित उपक्षेत्रों में किन्हीं राजकीय विभागों/संस्थानों में न्यूनतम तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किये जाने का अनुभव है, जिनकी कार्यादेशों के प्रति संलग्न है।
4. आवेदक गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट जीएसटी के तहत पंजीकृत है।
5. आवेदक गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अथवा प्रबन्ध कार्यकारिणी/निदेशक मण्डल के सदस्य किसी अपराध के लिए सजायाफ्ता नहीं है।
6. आवेदक गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट गैर राजनीतिक एवं धर्म निरपेक्ष है।
7. आवेदक गैर सरकारी संगठनों/ट्रस्ट का वर्ष 2018–19 से 2022–23 तक 5 वर्ष में से किन्हीं 3 वर्षो का वार्षिक टर्न ओवर प्रतिवर्ष न्यूनतम रू. 10.00 लाख है।
8. आवेदक गैर सरकारी संगठन के पास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त संसाधन एवं स्टाफ उपलब्ध है।
9. आवेदक गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट को केन्द्र/राज्य सरकार के किसी भी विभाग/संस्था द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है।
10. आवेदक गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट नीति आयोग (एनजीओ दर्पण) के अन्तर्गत पंजीकृत है।
11. आवेदक गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट विधान के उद्वेश्यों में दस्तकारों के उन्नयन हेतु प्रशिक्षण आदि का उद्वेश्य अंकित है।
12. मैं, गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट का प्राधिकृत प्रतिनिधि संस्था की ओर से यह स्वीकार करता हूँ कि मेरी संस्था का सूचीबद्ध होना किसी भी प्रकार से रूडा की परियोजना के संचालन में भागीदारी को सुनिश्चित नहीं करता है।
13. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक विवाद का क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय होंगे।
14. आवेदक गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत अभिरूचि प्रस्ताव को बिना कारण बताये स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने एवं सम्पूर्ण अभिरूचि प्रक्रिया को निरस्त करने अथवा निर्धारित तिथियों में परिवर्तन करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक रूडा का मान्य है।

नलिनी कठोतिया
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक
ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा)

स्थानः

हस्ताक्षर शपथग्रहिता
मय मोहर

सत्यापन

मैं.. पुत्र/पुत्री/पत्नि/श्री .... उम्र.....निवासी ....
.... जो कि .... नामक गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट में .... पद पर कार्यरत हूँ, सशपथ सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त समस्त विवरण/तथ्य मेरी निजी ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही व सत्य है, इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है ईश्वर मेरी मदद करें।

नलिनी कठोंतिया
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक
ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा)

स्थानः
दिनांक

हस्ताक्षर शपथग्रहिता
मय मोहर

ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण

(बी–ब्लाक, तृतीय तल, तिलक मार्ग, योजना भवन, जयपुर)

सूचीबद्ध करने की शर्ते

(1) गैर सरकारी संगठनों/ट्रस्ट को न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव वांछनीय है।

(2) गैर सरकारी संगठनों/ट्रस्ट को अपने भौगोलिक कार्यक्षेत्र एवं क्राफ्ट का विवरण अंकित करना आवश्यक है।

(3) प्रशिक्षण/कार्यशाला हेतु स्थान का चयन रूडा द्वारा किया जायेगा। प्रशिक्षण/कार्यशाला हेतु मुख्यतया आदिवासी क्षेत्र (TSP एरिया) एवं अनुसूचित जाति उपक्षेत्र (SCSP) के जिलों में कार्य आवंटन को प्राथमिकता दी जायेगी।

(4) गैर सरकारी संगठनों/ट्रस्ट द्वारा गत पॉच वर्ष में राजकीय विभाग/संस्था के लिए ऊन एवं वस्त्र, चर्म तथा लघु खनिज उपक्षेत्रों में कम से कम किसी एक उपक्षेत्र (उदाहरणार्थ प्रिंटिंग एम्बोइडरी, हैण्ड ब्लॉक प्रिन्ट, मूर्तिकारी, टेराकोटा, मोजडी, पर्स आदि) में किये गये तीन प्रशिक्षणों के कार्यादेशों की प्रति संलग्न करना आवश्ययक है।

(5) गैर सरकारी संगठनो/ट्रस्ट को पंजीयन का विधिक प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड डीड संलग्न करना आवश्यक है।

(6) गैर सरकारी संगठनो/ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अथवा प्रबन्ध कार्यकारिणी/निदेशक मण्डल के सदस्य किसी अपराध के लिए सजायाफ्ता नहीं हो एवं संस्था किसी भी सरकारी विभाग/संस्था द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं की गयी हो।

(7) गैर सरकारी संगठनो/ट्रस्ट गैर राजनीतिक एवं धर्म निरपेक्ष हो।

(8) गैर सरकारी संगठनो/ट्रस्ट को गत पॉच वर्ष में से किन्हीं तीन वर्ष में 10.00 लाख प्रतिवर्ष के टर्न ओवर का सनदी लेखाकार (Chartered Accountant) का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

नलिनी कठोतिया
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक
ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा)

(9) गैर सरकारी संगठनो/ट्रस्ट द्वारा विधान संलग्न करना अनिवार्य है। विधान के उद्धेश्यों में प्रशिक्षण का उद्धेश्य अंकित होना आवश्यक है।

(10) गैर सरकारी संगठनो/ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत अभिरूचि प्रस्ताव में हस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत किये गये प्राधिकारी का प्रमाण पत्र संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मय मोहर संलग्न होना आवश्यक है।

(11) गैर सरकारी संगठनो/ट्रस्ट के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निविदा विनियम एवं शर्तो पर सहमति हेतु हस्ताक्षर मय मोहर होना आवश्यक है एवं गैर सरकारी संगठनो/ट्रस्ट द्वारा निविदा में वर्णित शपथ पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर संस्था के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर व नोटरी से सत्यापित संलग्न करना आवश्यक है।

(12) गैर सरकारी संगठनो/ट्रस्ट द्वारा संस्था का नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें।

(13) गैर सरकारी संगठनो/ट्रस्ट द्वारा उनकी संस्था का पेन–कार्ड संलग्न करना अनिवार्य है।

(14) गैर सरकारी संगठनो/ट्रस्ट द्वारा संस्था में कार्यरत स्थायी कार्मिकों की सूची मय विवरण अंकित करना आवश्यक है।

(15) गैर सरकारी संगठनो/ट्रस्ट को योजनाओं में क्रियान्वयन हेतु कार्य आवंटन का निर्णय रूडा प्रबन्धन का मान्य होगा। गैर सरकारी संगठनों ट्रस्ट का सूचीबद्ध होना किसी प्रकार के कार्यक्रम में आवंटन हेतु बाध्यता नहीं है।

(16) आवेदक गैर सरकारी संगठनों/ट्रस्ट को बतौर प्रतिभूति राशि रूपये 6,000/– केवल डिमाण्ड ड्राफ्ट /बैंकर चेक के रूप में जमा करानी होगी, इसके अभाव में अभिरूचि प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(17) गैर सरकारी संगठनो/ट्रस्ट द्वारा जमा करायी गयी प्रतिभूति राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

(18) गैर सरकारी संगठनो/ट्रस्ट के चयन होने पर उनका अनुबन्ध सूचीबद्ध किये जाने की तारीख से एक वर्ष तक प्रभावी होगा एवं पारस्परिक सहमति से इसे एक वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

(19) अभिरूचि प्रस्ताव प्राधिकारी– प्रबन्ध निदेशक, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा) तृतीय तल, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर है।

(20) गैर सरकारी संगठनो/ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत अभिरूचि प्रस्ताव में उत्पन्न किसी भी विवाद के लिए न्यायिक विवाद का क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय ही होंगे।

नलिनी कठोतिया
आई ए एस
प्रबन्ध निदेशक
ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा)

(21) गैर सरकारी संगठनो/ट्रस्ट के द्वारा प्रस्तुत अभिरूचि प्रस्ताव के निरस्त होने पर उनके द्वारा [illegible] गयी प्रतिभूति राशि प्रक्रिया पूर्ण होने पर नियमानुसार लौटायी जायेगी।

(22) गैर सरकारी संगठनो/ट्रस्ट द्वारा निविदा के साथ संलग्न प्रत्येक दस्तावेज को संस्था के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा स्व. प्रमाणित कर हस्ताक्षर मय संस्था की मोहर लगाकर संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(23) उपरोक्त वर्णित वैध दस्तावेजों को संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा दस्तावेजों के अभाव में संस्था के अभिरूचि प्रस्ताव अमान्य करार दिए जायेंगे।

(24) गैर सरकारी संगठनो/ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत अभिरूचि प्रस्ताव को बिना कारण बताये स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने एवं सम्पूर्ण अभिरूचि प्रक्रिया को निरस्त करने अथवा निर्धारित तिथियों में परिवर्तन करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक, रूडा का है।

(25) अभिरूचि प्रस्ताव राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि के अध्यधीन रहेंगे।